MOST IMMEDIATE

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2005/PR/15/7 **New Delhi, Dated: 14.06.2006**

The GMs/DGs/CAOs/MDs,
All Indian Railways/Production &
other Units/Organisations/PSUs,
(As per Mailing List)

Sub: The Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 – Amendment thereto.

Please refer to Board's letter of even number dated **30.9.05** and **12.12.05** on the subject along with which a copy each of 'the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005' and 'the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2005' respectively had been sent for information and guidance while dealing with the requests for information under the Act. These rules have further been amended by the Central Government by making **'The Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2006'** and publishing in the Gazette of India on **18.05.06** inserting the words **"or Indian Postal Order"** after the words **"bankers cheque"** appearing in **Rules-3, 4 and 5**:

2. A copy of the said Amendment Rules is sent herewith for information and guidance of the Railways, Production & other Units, Public Sector Undertakings, etc under the Ministry of Railways.

DA/as above.

Manish Tiwari 13/6

(Manish Tiwari)
Jt. Director Information & Publicity
Railway Board

Copy to:

(i) CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML,
(ii) DG/RHS, DG/RPF,
(iii) OSD/MR, PS/MR, PS/MSR (N) & PS/MSR (V);
(iv) Secretary, AM/B, AM/CE, AM/Comml., AM/IT, AM/Elect., AM/Finance,AM/ME, AM/Plg., AM/PU, AM/RS, AM/W, AM/T&C, AM/Tele, AM/Signal, AM/Staff, AM/Vig, Adv/T, Adv/IR, Adv./Finance, Adv/L&A, Adv/Safety, Adv/PM, Adv/Conf..
(v) JS (G), JS(E&P), JS, EDCC, ED/Chg., ED/E&R & EDPG
(vi) The General Secretaries, NFIR & AIRF, New Delhi (with 5 spares)
(vii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Frozeshah Road, New Delhi (with 10 spares);
(viii) The Secretary General, FROA, New Delhi;
(ix) The Secretary, RBSS, Group A Officers Association, New Delhi;
(x) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers Association; N.Delhi;
(xi) The Secretary General, IRPOF, New Delhi.
(xii) The President Indian Railway Class II Officers Association;
(xiii) The Secretary General, All India RPF Association, Rail Bhavan, New Delhi;
(xiv) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, New Delhi;
(xv) The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi;
(xvi) The Secretary, Railway Board Class-IV Staff Association;

*****

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2006

G.S.R. 294(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of Sub-section (2) of Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005, namely :—

1. **Short Title and Commencement.**—(1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2 In the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005,—

(a) in rule 3, after the words "bankers cheque", the words "or Indian Postal Order" shall be inserted ;

(b) in rule 4, after the words "bankers cheque", the words "or Indian Postal Order" shall be inserted ;

(c) in rule 5, after the words "bankers cheque", the words "or Indian Postal Order" shall be inserted ;

[F. No. 34012/8(S)/2005-Estt. (B)]

C. B. PALIWAL, Jt. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st October, 2005 *vide* number G.S.R. 336 dated the 16th September, 2005 and were amended *vide* number G.S.R. 649(E) dated the 27th October, 2005.

अति तत्काल

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/पी आर/15/7 नई दिल्ली, दिनांक 14.6.2006

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/प्रबंध निदेशक,
सभी भारतीय रेलें/ उत्पादन एवं अन्य इकाइयां/
संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम,
(डाक सूची के अनुसार).

विषय : - सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005 - इसमें संशोधन

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 30.09.05 एवं 12.12.05 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसके साथ क्रमशः 'सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) नियम, 2005' तथा 'सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005' प्रत्येक की एक-एक प्रतिलिपि अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोधों पर कार्रवाई करते समय सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए भेजी गयी थी. इन नियमों को 'सूचना का अधिकार (शुल्क और लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2006' बनाकर और नियम 3,4 तथा 5 में दर्शाए गए "बैंकर्स चैक" शब्दों के बाद "अथवा भारतीय पोस्टल आदेश" शब्दों को समाविष्ट करके 18.5.06 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित करके केंद्रीय सरकार द्वारा और आगे संशोधित किया गया है.

2. उक्त संशोधन नियमों की एक प्रतिलिपि रेल मंत्रालय के अंतर्गत रेलों, उत्पादन एवं अन्य इकाइयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को सूचना तथा मार्गदर्शन के लिए भेजा जाता है.

(मनीष तिवारी)
संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रचार,
रेलवे बोर्ड.

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 18, 2006/वैशाख 28, 1928
No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 18, 2006/VAISAKHA 28, 1928

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2006

सा.का.नि. 294(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) संशोधन नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 में,—

(क) नियम 3 में, ''बैंकर चैक'' शब्दों के पश्चात्, ''या भारतीय पोस्टल आर्डर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) नियम 4 में, ''बैंकर चैक'' शब्दों के पश्चात्, ''या भारतीय पोस्टल आर्डर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ग) नियम 5 में, ''बैंकर चैक'' शब्दों के पश्चात्, ''या भारतीय पोस्टल आर्डर'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

[फा. सं. 34012/8(एस.)/2005-स्था. (बी.)]

सी. बी. पालीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i), तारीख 1 अक्तूबर, 2005 में, सं. सा.का.नि. 336(अ) तारीख 16 सितंबर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं. सा.का.नि. 649(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2005 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MOST IMMEDIATE

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

No.2005/PR/15/7

New Delhi, Dated: 12.12.2005

The GMs/DGs/CAOs/MDs,
All Indian Railways/Production &
other Units/Organisations/PSUs,
(As per Mailing List)

Sub: The Right to Information Act-2005 – Regulation of fee and cost – Amendment of Rules regarding.

Please refer to Board's letter of even number dated **30.9.05** on the subject along with which a copy of **'the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005'** had been sent for information and guidance while dealing with the requests for information under the Act. These rules have since been amended by the Central Government by making **'The Right to Information (Regulation of Fee and Cost) (Amendment) Rules, 2005'** and publishing in the Gazette of India on **28.10.05** substituting **clause (d) of Rule-4** as under:

"(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each subsequent hour (or fraction thereof)."

2. A copy of the said amendment rules is sent herewith for information and guidance of the Railways, Production & other Units, Public Sector Undertakings, etc under the Ministry of Railways.

DA/as above.

(Manish Tiwari)
Jt. Director Information & Publicity
Railway Board

Copy to:

(i) CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML,
(ii) DG/RHS, DG/RPF,
(iii) OSD/MR, PS/MR, PS/MSR (N) & PS/MSR (V);
(iv) Secretary, AM/B, AM/CE, AM/Comml., AM/IT, AM/Elect., AM/Finance,AM/ME, AM/Plg., AM/PU, AM/RS, AM/W, AM/T&C, AM/Tele, AM/Signal, AM/Staff, Adv/T, Adv/IR, Adv./Finance, Adv/L&A, Adv/Safety, Adv/Vig, Adv/PM, Adv/Conf.
(v) JS (G), JS(E&P), JS, EDCC, ED/Chg., ED/E&R & EDPG
(vi) The General Secretaries, NFIR & AIRF, New Delhi (with 5 spares)
(vii) The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Frozeshah Road, New Delhi (with 10 spares);
(viii) The Secretary General, FROA, New Delhi;
(ix) The Secretary, RBSS, Group A Officers Association, New Delhi;
(x) The Secretary, Railway Board Group 'B' Officers Association; N.Delhi;
(xi) The Secretary General, IRPOF, New Delhi.
(xii) The President Indian Railway Class II Officers Association;
(xiii) The Secretary General, All India RPF Association, Rail Bhavan, New Delhi;
(xiv) The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, New Delhi;
(xv) The General Secretary, IRCA, DRM Office Complex, State Entry Road, New Delhi;
(xvi) The Secretary, Railway Board Class-IV Staff Association;

*****

REGD. NO. D. L.

अति तत्काल

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/पी आर/15/7 नई दिल्ली, दिनांक 12.12.2005

महाप्रबंधक/महानिदेशक/मु. प्र. अ./प्रबंध निदेशक,
सभी भारतीय रेलें,
उत्पादन इकाइयां एवं अन्य इकाइयां
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि
(डाक सूची के अनुसार)

विषय :- **सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005- शुल्क एवं लागत का विनियमन - नियमों में संशोधन के संबंध में.**

उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के 30.9.2005 का समसंख्यक पत्र देखें जिसके साथ **'सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत के विनियमन) नियम 2005'** की प्रतिलिपि इस अधिनियम से संबंधित प्राप्त अनुरोधों पर कार्रवाई करने हेतु सूचना एवं दिशा-निर्देशन हेतु भेजी गई थी. केन्द्र सरकार ने **'सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2005'** बनाकर इन नियमों को आशोधित किया है और **नियम - 4 के खंड (घ)** को निम्नानुसार बदलकर भारत के राजपत्र में **28.10.2005** को प्रकाशित किया है :

" (घ) रिकार्डों के निरीक्षण के लिए पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं; तथा बाद के प्रत्येक **घंटे** (अथवा उसके किसी भाग) के लिए पांच रुपये का शुल्क".

2. उक्त संशोधित नियमों की एक प्रति रेलों, उत्पादन एवं अन्य इकाइयों, रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, आदि को सूचना एवं दिशा-निर्देशन हेतु संलग्न है.

संलग्नक : यथोक्त

(मनीष तिवारी)
संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रचार
रेलवे बोर्ड

MOST IMMEDIATE

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, Dated: 30.09.2005

No.2005/PR/15/7

The GMs/DGs/CAOs/MDs,
All Indian Railways,
Production & other Units,
Public Sector Undertakings, etc.
(As per Mailing List)

Sub: Right to Information Act-2005–Implementation of the Provisions of the Act – Regulation of Fee and Cost – Rules regarding.

Attention is invited to Board's letter No.2005/PR/15/3 dated 12.7.05 on the subject advising the Railways, etc to initiate necessary action for complying with the provisions of the Right to Information Act, 2005. In this connection, attention is also invited to the provisions contained in **Section-27** of the Act, which require the **appropriate Government** to make rules by Notification in the Official Gazette, to carry out the provisions of the Act.

2. Accordingly, in exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section -(2) of Section-27 of the Act, the Central Government has made **the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005** and published in the Gazette of India on 16.9.2005. A copy of the said rules is sent herewith for information and guidance of the Railways, Production & other Units, Public Sector Undertakings, etc under the Ministry of Railways while dealing with the requests for information under the Act.

30-9-05
(M.K.AGARWAL),
SECRETARY RAILWAY BOARD.

DA: as above.

Copy to:

(i) CRB, FC, MT, ME, MS, MM, ML,
(ii) DG/RHS, DG/RPF,
(iii) OSD/MR, PS/MR, PS/MSR (N) & PS/MSR (V);

........2/-

(TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF THE GAZETTE OF INDIA)

Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, dated the 16th September, 2005

Notification

G.S.R......., In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (2) of section 27 of the Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In the rules, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Act' means the Right to Information Act, 2005;

(b) 'section' means section of the Act;

(c) all other words and expressions used herein but not defined and defined in the Act shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. A request for obtaining information under sub-section (1) of section 6 shall be accompanied by an application fee of rupees ten by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority.

4. For providing the information under sub-section (1) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

(a) rupees two for each page (in A-4 or A-3 size paper) created or copied;
(b) actual charge or cost price of a copy in larger size paper;
(c) actual cost or price for samples or models; and
(d) for inspection of records, no fee for the first hour; and a fee of rupees five for each fifteen minutes (or fraction thereof) thereafter.

.....2/

5. For providing the information under sub-section (5) of section 7, the fee shall be charged by way of cash against proper receipt or by demand draft or bankers cheque payable to the Accounts Officer of the public authority at the following rates:-

(a) for information provided in diskette or floppy rupees fifty per diskette or floppy; and

(b) for information provided in printed form at the price fixed for such publication or rupees two per page of photocopy for extracts from the publication.

(Hari Kumar)
Director

[F.No. 34012/8(s)/2005-Estt. (B)]

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi.

No. 34012/8(s)/2005-Estt.(B) New Delhi, dated the 16th September, 2005

Copy to :

1. All Ministries/Departments of the Government of India.
2. Comptroller and Auditor General of India, New Delhi.
3. Union Public Service Commission, New Delhi.
4. Central Vigilance Commission, New Delhi.
5. Central Bureau of Investigation, New Delhi.
6. Chief Secretaries of State Governments and Union Territory Administrations.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat.
8. All Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.
9. All Officers and Sections of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions and Ministry of Home Affairs.

(Hari Kumar)
Director

Fees GF

F.No1/2/2007-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

Rules & regulation of RTI Act-05 and fee

North Block New Delhi
Dated 23 March, 2007

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Non-implementation of various provisions of the RTI Act, 2005 by public authorities- regarding.

It has been brought to the notice of this Department that

(i) Some public authorities have not designated Public Information Officers and/ or Assistant Public Information Officers under the Right to Information Act, 2005 so far;

(ii) Some public authorities do not accept fee by way of Indian Postal Orders;

(iii) Some public authorities do not accept demand drafts/bankers cheques/Indian Postal Orders drawn in the name of their Accounts Officer and insist that these should be drawn in the name of Drawing and Disbursing Officer or the Under Secretary or the Section Officer etc.; and

(iv) Some public authorities do not accept applications submitted by the applicant and insist that application for seeking information should be submitted in a particular format prescribed by them.

2. Attention is invited to sub-section (1) of section 5 of the Act, which provides that "every public authority shall designate Public Information Officers in all administrative units or offices under it within one hundred days of the enactment of the Act. Like wise sub-section (2) of section 5 of the Act provides that every public authority shall designate an officer as Assistant Public Information Officer at each sub-divisional level within one hundred days of the enactment of the Act. More than a year has passed since the Act was enacted. Non-designation of Public Information Officer(s) and/or Assistant Public Information Officer(s) by any public authority contravenes the provisions of the Act.

3. According to the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2005 as amended by the Right to Information (Regulation of Fee and Cost) Rules, 2006, the approved mode of payment of fee for obtaining information is by cash or demand draft or banker's cheque or Indian Postal Order payable to the Accounts Officer of the public authority. Non-acceptance of fee by way of Indian Postal Order or insistence that the demand draft/banker's cheque/Indian Postal Order should be drawn in the name of any officer other than the Accounts Officer of the public authority is not in line with the provisions of the Rules.

Instructions have already been issued to all the Public Authorities under the M/o Railways on the points mentioned in paras 5 of the letter. May kindly see & ensure.

रेल मन्त्रालय (रेलवे बोर्ड)
(Railway Board)
9. APR 2007

4. Section 6 (1) provides that a person, who desires to obtain any information under the Act, shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the official language of the area in which the application is being made. The Act or Rules notified by the Government do not prescribe any format of application for seeking information. Non-acceptance of an application on the ground that it is not in prescribed format is against the provisions of the Act.

5. In view of above facts, all the public authorities may ensure that:-

(i) Central Public Information Officers/Central Assistant Public Information Officers are designated immediately, if it has not been done so far. Details of these officers may also be posted on the website;

(ii) Fee paid by any of the modes prescribed in the Rules including by way of Indian Postal Order is accepted;

(iii) Demand draft/Banker's Cheques/IPOs made payable to the Account Officer of the public authorities are accepted; and

(iv) Applications submitted by the applicants are not refused on the ground that it has not been submitted in prescribed format.

6. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director

To

1. All Ministries/Departments of Government of India.
2. Department of Economic Affairs (Banking Division), New Delhi
3. Department of Economic Affairs (Insurance Division), New Delhi
4. Department of Public Enterprises, New Delhi
5. Railway Board
6. Union Public Service Commission / Supreme Court of India / Election Commission / Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat / Cabinet Secretariat / Central Vigilance Commission / President's Secretariat / Prime Minister's Office / Planning Commission.
7. Staff Selection Commission, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi
8. Office of the Comptroller & Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi
9. 200 spare copies.

फाईल संख्या-1/2/2007-आई.आर.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक: 23 मार्च, 2007

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन न किए जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विभाग के ध्यान में निम्न तथ्य लाए गए हैं :-

(i) कुछ लोक प्राधिकारियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अब तक लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों को पदनामित नहीं किया है;

(ii) कुछ लोक प्राधिकारी भारतीय पोस्टल ऑर्डर के रूप में शुल्क की अदायगी स्वीकार नहीं करते हैं;

(iii) कुछ लोक प्राधिकारी अपने लेखा अधिकारी के नाम पर धारित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार नहीं करते हैं तथा इसे अपने आहरण तथा वितरण अधिकारी, अवर सचिव अथवा अनुभाग अधिकारी आदि के नाम से ही आहरित करने पर बल देते हैं; और

(iv) कुछ लोक प्राधिकारी आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं करते तथा इस बात पर बल देते हैं कि सूचना मांगने के लिए किया गया आवेदन केवल उनके द्वारा निर्धारित किसी प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जाए।

2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) की और ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें सभी लोक प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर अपने अंतर्गत आने वाले सभी प्रशासनिक एककों अथवा कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इसी तरह उपर्युक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) में इस अधिनियम के अधिनियमन के 100 दिन के भीतर प्रत्येक उप-मण्डलीय स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में एक अधिकारी पदनामित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के अधिनियमन को अब तक एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है। किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी तथा/अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी का पदनामित नहीं किया जाना इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन है।

3. सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) संशोधन नियमावली, 2006 द्वारा यथा संशोधित सूचना का अधिकार (शुल्क तथा लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार सूचना प्राप्त करने हेतु भुगतान का अनुमोदित तरीका, नकद भुगतान अथवा लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी के नाम डिमांड ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा भुगतान करना है। भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा शुल्क स्वीकार न करना अथवा इस बात पर बल देना कि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर, लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी

के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी के नाम से आहरित होना चाहिए, इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप नहीं है।

4. धारा 6(1) में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना चाहता है वो लिखित अथवा इलैक्ट्रोनिक माध्यम से अंग्रेजी अथवा हिन्दी में अथवा जिस स्थान पर आवेदन किया जा रहा है वहां की शासकीय भाषा में एक अनुरोध करेगा। सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम अथवा नियमों में सूचना मांगे जाने हेतु कोई प्रपत्र निर्धारित नहीं किया गया है। इस आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया जाना कि वह निर्धारित प्रपत्र में नहीं है इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है।

5. उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, यह अनुरोध है कि सभी लोक प्राधिकारी सुनिश्चित करें कि :

(i) यदि अभी तक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी पदनामित नहीं किए गए हैं तो उन्हें तुरंत पदनामित किया जाए। इन अधिकारियों का ब्यौरा बेवसाईट पर भी रखा जाए;

(ii) भारतीय पोस्टल ऑर्डर सहित नियमों में निर्धारित किसी भी तरीके से किया गया भुगतान स्वीकार किया जाए;

(iii) लोक प्राधिकारी के लेखा अधिकारी को देय डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/भारतीय पोस्टल ऑर्डर स्वीकार किए जाएँ;

(iv) आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किए जाएं कि वे निर्धारित प्रपत्र में नहीं हैं।

6. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु सभी संबंधितों के ध्यान में ला दी जाए।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली।
3. आर्थिक कार्य विभाग (बीमा प्रभाग), नई दिल्ली।
4. लोक उद्यम विभाग, नई दिल्ली।
5. रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. संघ लोक सेवा आयोग/भारत का उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग।
7. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
8. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
9. 200 अतिरिक्त प्रतियाँ।

*****

(भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत-सरकार

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2005

अधिसूचना

सा.का.नि.......... केन्द्रीय सरकार, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 27 की उपधारा (2) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (फीस और लागत का विनियमन) नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) 'अधिनियम' से, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अभिप्रेत है;

(ख) 'धारा' से उक्त अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. धारा 6 की उप धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, दस रूपए की आवेदन फीस के साथ होगा, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी, जो लोक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी को संदेय होगा ।

4. धारा 7 की उप धारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरूद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-

(क) तैयार किए गए या प्रतिलिपि किए गए प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपए;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या माडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पाँच रूपए की फीस ।

......2/-

5. धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस, निम्नलिखित दर पर, जो समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में होगी जो लोक प्राधिकारी के किसी लेखा अधिकारी को संदेय होगा, प्रभारित की जाएगी:-

(क) डिस्केट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए, प्रति डिस्केट या फ्लॉपी, पचास रुपए; और

(ख) मुद्रित प्ररूप में दी गई सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपए ।

(हरि कुमार)
निदेशक
[फा.सं.-34012/8(एस.)/2005-स्थापना(ख)]

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली ।

सं.-34012/8(एस.)/2005-स्थापना(ख) नई दिल्ली, दिनांक 18 सितंबर, 2005

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
3. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
5. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
6. सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिव ।
7. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी अधिकारी और अनुभाग ।

(हरि कुमार)
निदेशक